

प्रवेश संबंधी सूचना

सत्र -2026-27

प्रवेश – सूचना (ऑफलाइन मोड)

सत्र 2026-27 हेतु कक्षा II, III एवं V में कुछ छात्र रिक्तियां हैं। इच्छुक अभिभावक अपने पाल्यों के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पंजीकरण दिनांक 02.04.2026 से 08.04.2026 तक किया जाएगा। पंजीकरण प्रपत्र विद्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट

<https://murena.kvs.ac.in/> से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

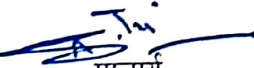
पंजीकरण प्रपत्रों का वितरण एवं जमा करने का समय प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा।

पूर्ण रूप से भरे हुए पंजीकरण प्रपत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ विद्यालय में ही जमा करना अनिवार्य है। सभी प्रवेश केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।

सत्र 2026-27 हेतु कक्षा X एवं XII में भी कुछ छात्र रिक्तियां हैं। इच्छुक अभिभावक अपने पाल्यों के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश के लिए निम्न शर्तें लागू होंगी

- क) बच्चे ने सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय से उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो।
 - ख) कक्षा 10वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 9वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।
 - ग) कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए 11 वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने अनिवार्य है।
 - घ) विद्यार्थी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार हर प्रकार से पात्र होना चाहिए।
 - ङ) विद्यार्थी द्वारा चयन किए जाने वाले विषयों का संयोजन संबंधित केन्द्रीय विद्यालय में उपलब्ध हो।
 - च) यह नए प्रवेश केवल सिविल रक्षा क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी I और II के लिए एवं परियोजना/उच्चतर शिक्षा संस्थान क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी I से III के लिए ही होंगे।
- अधिक जानकारी के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश मार्गदर्शिका का अवलोकन करें जो विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।


प्राचार्य
प्रधानाचार्य / (Principal)
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय (PM Shri Kendriya Vidyalaya)
मुरेना (म.प्र.) (Morena M.P.)

आवश्यक दस्तावेज

- 1 जन्म प्रमाणपत्र - सभी के लिए अनिवार्य
- 2 डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (ST/SC/OBC के लिए
- 3 आय प्रमाण पत्र (OBC-NCL के लिए
- 4 बच्चे और माता-पिता का आधार कार्ड - सभी के लिए अनिवार्य
- 5 वर्तमान निवास / पता प्रमाण (बिजली का बिल या किरायानामा) सभी के लिए अनिवार्य
- 6 संबंधित विभाग का सेवा प्रमाण पत्र (सरकारी कर्मचारी के लिए)
- 7 बीपीएल / EWS प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)